

अधीक्षक का कार्यालय  
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।

कोटेशन आमंत्रण सूचना ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर में बिहार वित्त सशोधन नियमावली 2005 एवं 2016 के कंडिका 131(घ) के तहत इस संस्थान के AB-PMJAY के तहत Ortho Dept. में THR Set Implant + Disposable Item (Cement) अत्यन्त अति आवश्यकता के क्रम में नियमित आपूर्तिकर्ता/स्वाति प्राप्त फर्मो/कम्पनियों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

- 1 अधोहताक्षरी या विभागीय सक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताए कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 2 कोटेशन प्राप्त खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा।
- 3 THR Set Implant + Disposable Item (Cement) का AB-PMJAY के स्वीकृत पैक के दर से कोटेशन का दर अधिक का नहीं होगा।
- 4 THR Set Implant + Disposable Item (Cement) दर GST के बिना अंकित किया जाये एवं रोट में प्रति समायी का नाम एवं दर अंकित किया जाए।
- 5 THR Set Implant + Disposable Item (Cement) आदि के कम्पनी द्वारा Authorization Letter तकनीकी कोटेशन के साथ सलग करना अनिवार्य होगा।
- 6 कोटेशन दो प्रकार यथा (1) टेकनिकल (2) वित्तीय अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में बंद कर लिफाफे के ऊपर THR Set Implant + Disposable Item (Cement) स्पष्ट अक्षरों में उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 7 कोटेशन तकनीकी के शर्तों को पूरा करने वाले कोटेशनदाताओं का ही वित्तीय कोटेशन खोला जायेगा।
- 8 कोटेशन के साथ अद्यतन आयकर एवं जी0एस0टी0 एवं दवा अनप्रमाणपत्र देना होगा।
- 9 विस्तृत जानकारी [www.jlnmchbnp.org](http://www.jlnmchbnp.org) पर देखें अथवा कार्यावधि में अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 10 कोटेशन दाता को आदेशित समायी विभाग में आदेश निगर्त के तिथि से 3 दिनों के अन्दर अवश्य आपूर्ति कराना होगा अन्यथा कयादेश रद्द समझा जायेगा।
- 11 कोटेशन दाता को आदेशित समायी विभाग में आदेश निगर्त के तिथि से 3 दिनों के अन्दर अवश्य आपूर्ति कराना होगा अन्यथा कयादेश रद्द समझा जायेगा।
- 12 कोटेशन का मसौदा केवल टंकित प्रति ही मान्य होगी हाथ से लिखा कोटेशन का मसौदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 13 प्राप्त कोटेशन खोलने के समय कोटेशनदाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- 14 कोटेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भागलपुर होगा।

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय  
अस्पताल, भागलपुर।